न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 464/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

1. धर्मवीर चौधरी पुत्र खुबराम
2. विरेन्द्र चौधरी पुत्र खुबराम
3. खुबराम पुत्र हरिराम

समस्त जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. सुरेश कुमार पुत्र टिकुराम
2. रविन्द्र कुमार पुत्र टिकुराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र टिकुराम
4. टिकुराम पुत्र हरिराम
5. विक्रम पुत्र बलवंतराम
6. संदीप कुमार पुत्र बलवंतराम
7. संन्तोष देवी पत्नि बलवंतराम

समस्त जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

8. पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक संगरिया
9. तहसीलदार(राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री सन्तोष गोदारा –वकील वादीगण
2. श्री प्रमोद डेलू – वकिल प्रतिवादीगण 1 ता 7
3. श्री गुरविन्द्र राजपाल –वकील प्रतिवादी स 8

निर्णय **दिनांक** :–

वादीगण धर्मवीर वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 26.08.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 7 के नाम तहसील संगरिया के चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102/65 ज.स 2070–2073 सयुक्त खाता मे 9.322है एव इसी चक के खाता न 95/74 सयुक्त खाता मे 5.313 है नहरी कृाष दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त चको के खातो की जमाबन्दी को प्रमाणित प्रतिया सलग्न वाद पत्र है। कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 मे जो कि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 की सयुक्त परिवार की सयुक्त आराजी है तथा वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 7 के नाम से वाद पत्र की चरण सख 2 मे वर्णित भूमि मे सभी का जन्म से हित व स्वत्व निहित है परन्त उक्त समस्त कृाष भूमि का रास्ता खाला की सुविधा अनुसार सौहाद्रपूर्ण वातावरण में एवं आपसी सहमती एव रजामन्दी से वादीगण

एव प्रतिवादी स 1 ता 7 ने घरू बंटवारा कर लिया है वादीगण को बटवारा मे प्राप्त कृाष भूमि का वर्णित निम्न प्रकार है।

चक न 10 ए.एम.पी के खाता सख्या 102/65 मे वादीगण का ब.ही.ब हिस्सा –

प.न	मु.न	कि.न
150/160	11	5/1/0.114है,5/2/0.025है,6/0.253है
		7/1/0.126है,15/0.253हे
	कुल योग 0.746है 0.025है गे.म.खाला	
151/160	12	1/1/0.228है,1/2/0.025है,2/1/0.228है
		2/2/0.025हे,3/1/0.228है,3/2/0.025है
		8,9,10,11,12,13/0.235है, 14/1/0.060है
		15/1/0.060हे

सत्यमेव
Web Copy - Not O

कुल 2.322है 0.075है गै.मु.खाला

कुल योग 3.068है 0.100है गे.मु

चक न 10 ए.एम.पी के खाता स 95/74 मे वादीगण का ब.हि.ब हिस्सा

प.न	मु.न	कि.न
152/163	39	6/1/0.194है,6/2/0.025है,15/1/0.194है
		15/2/0.025है
	कुल–0.388है गे.मु0.050है	
प.न	मु.न	कि.न
153/163	38	10,11,12,19,20/0.253है प्र कुल 1.265है

दोनो खातो का कुल योग 4.721है नहरी कृाष गे.मु 0.150है कुल 4.871 है मय गे.मु

कि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृाष भूमि जिसका वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित किया गया है वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम चक न 10 ए.एम.पी खता स 102/65 मे वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा विवादित दर्शाया गया है क्योकि वादी स 3 एव प्रतिवादी स 4 एव प्रतिवादी स 7 नाम दर्ज हिस्सा कमश 1412/9322,1159/93212,1056/9322, स्थान पर 1341/9322, 1088/9322, 985/9322 हिस्सा का सही अकंन किया जावे जो कि एक लिपिकिय भूल है वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि प्रतिवादी स 1 ता 7 को प्रश्नगत् कृाष भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हूई है वादीगण ने प्रतिवादी स 1ता 7 को बंटवारानुसार कृाष भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गऐ बस यही वाद कारण है कि प्रतिवादी स 1 ता 7 के नाम कृाष भूमि दर्ज होने के कारण प्रतिवादी स 8 के पक्ष मे रकवा रहन होने के कारण तथा प्रतिवादी स 9 को भूधारक होने के कारण प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।कि वाद पत्र माननीय न्यायलय के

क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो उचित न्याय शूलक पर अन्दर मयाद प्रस्तुत है अत वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वाद बहक वादी विरूध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोंषणाइस आश्य की फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण स 3 के अनुसार चक न 10.ए.एम.पी के खाता स 102/65 मे 3.168है मय गे.मु.एव इसी चक के खाता स 95/74 मे 1.771हे के वादीगण को ब.हि.ब हिस्सा के खातेदार काश्तकर घोंषित कर उक्त खाता का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम किया जावे वादी स 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1412/9322 हिस्सा के स्थान पर 1341/9322 का सही अकंन किया जावे जो कि एक लिपिकीय भूल है जो काबिले दुरूस्त है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा सप्रतिदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. 8 बैक का जबाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 9 जवाब दावा पेश किया जो शमिल पत्रावली किया गया दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य में वादी स 1 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दगाया गया। तथा चक नं. 10 ए.एम.पी के खाता सं. 102/65 व इसी चक के खाता सं. 95/74 नहरी कृाष भूमि जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोंषित कर खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे व जमाबंदी दरूस्त को जावे तथा अभिभाषक प्रतिवादी स 1 ता 7 ने सप्रतिदावा की चरण स 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोंषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे तथा वादी के चाहे अनुसार वाद पत्र डिक्री कर दीया जावे तो प्रतिवादी स 1 ता 7 को कोई उज्र व ऐतराज नही है अभिभाषक प्रतिवादी स 8 ने रकबा रहन फक होने पर ही वाद पत्र व सप्रतीदावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया व वाद पत्र मे खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी स 1 ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का जवाब दावा सप्रतिदावा पेश हुआ। इसलिए वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी स 1 ता 7 का सप्रतिदावा व स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण व सप्रतिदावा प्रतिवादी स 1 ता 7 उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण का खाता चक न 10.ए.एम.पी के खाता स 102/65 मे 3.168है मय गे.मु. एव इसी चक के खाता स 95/74 मे 1.771हे के वादीगण को ब.हि.ब हिस्सा के खातेदार काश्तकर घोंषित कर उक्त खाता का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम किया जाती है। वादी स 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1412/9322 हिस्सा के स्थान पर 1341/9322 का सही अकंन किया जाता है। व प्रतिवादी स 1 ता 4 का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सप्रतिदावा चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102/165 मे 3.144है व 95/74 मे कुल 1.771है दोनो खातो मे कुल 4.915है व प्रतिवादी स 5 ता 7 का चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102/65 मे 3.009है एवम 95/74 1.839है कुल 4.848है राजस्व अभिलेख मे अकंन कर रकम राज अलग से कायम की जाती है। वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार व प्रतिवादी स 1 ता 7 का सप्रतिदावा की चरण स 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर कर इसी अनुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जाती है

उक्त खाता से पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– यदि हक व हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकरों का अमल दरामद कर दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 464/2022
वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आर.टी.ए

1. धर्मवीर चौधरी पुत्र खुबराम
2. विरेन्द्र चौधरी पुत्र खुबराम
3. खुबराम

समस्त जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनूमानगढ पुत्र हरिराम

–वादीगण

बनाम्

1. सुरेश कुमार पुत्र टिकुराम
2. रविन्द्र कुमार पुत्र टिकुराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र टिकुराम
4. टिकुराम पुत्र हरिराम
5. विक्रम पुत्र बलवंतराम
6. संदीप कुमार पुत्र बलवंतराम
7. संन्तोष देवी पत्नि बलवंतराम

समस्त जाति जाट निवासीगण बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज

8. पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक संगरिया
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तोष गोदारां वकील वादीगण व श्री प्रमोद डेलू वकील प्रति स 1 ता 7 व गुरविन्द्र राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि कि वाद वादीगण का खाता चक न 10.ए.एम.पी के खाता स 102/65 मे 3.168है मय गे.मु. एव इसी चक के खाता स 95/74 मे 1.771हे के वादीगण को ब.हि.ब हिस्सा के खातेदार काश्तकर घोषित कर उक्त खाता का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम किया जाती है। वादी स 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1412/9322 हिस्सा के स्थान पर 1341/9322 का सहो अकंन किया जाता है। व प्रतिवादी स 1 ता 4 का सप्रतिदावा चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102/165 मे 3.144है व 95/74 मे कुल 1.771है दोनो खातो मे कुल 4.915है व प्रतिवादी स 5 ता 7 का चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102/65 मे 3.009है एवम 95/74 1.839है कुल 4.848है राजस्व अभिलेख मे अकंन कर रकम राज अलग से कायम की जातो है। वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार व प्रतिवादी स 1 ता 7 का सप्रतिदावा की चरण स 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर कर इसी अनुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जाती है वाद पत्र की चरण स 3 व सप्रतिदावा की चरण स 6 निम्न प्रकार है।

1 वादीगण का ब.हि.ब हक व हिस्सा की भूमि

चक न 10 ए.एम.पी के खाता सख्या 102/65 मे वादीगण का ब.ही.ब हिस्सा –

प.न	मु.न	कि.न
150/160	11	5/1/0.114है,5/2/0.025है,6/0.253है 7/1/0.126है,15/0.253हे
		कुल योग 0.746है 0.025है गे.मु.खाला
151/160	12	1/1/0.228है,1/2/0.025है,2/1/0.228है 2/2/0.025हे,3/1/0.228है,3/2/0.025है 8,9,10,11,12,13/0.253है प्र ,14/1/0.060है 15/1/0.060हे
		कुल 2.322है 0.075है गै.मु.खाला
		कुल योग 3.068है 0.100है गे.मु

चक न 10 ए.एम.पी के खाता स 95/74 मे वादीगण का ब.हि.ब हिस्सा

प.न	मु.न	कि.न
152/163	39	6/1/0.194है,6/2/0.025है,15/1/0.194है 15/2/0.025है
		कुल–0.388है गे.मु0.050है
प.न	मु.न	कि.न
153/163	38	10,11,12,19,20/0.253है प्र कुल 1.265है

दोनो खातो का कुल योग 4.721है नहरी कृषि गे.मु 0.150है कुल 4.871 है मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 ता 4 ब.ही.ब हक व हिस्सा की भूमि–

चक न 10.ए.एम.पी खाता स 102/165

प.न	मु.न	कि.न
151/160	12	4/1/0.228है,4/2/0.025है,5/1/0.202है 5/2/0.025है,5/3/0.025है गे.मु 6/1/0.228हे,6/2/0.025है गे.मु 7/0.253है,14/2/0.193है , 15/3/0.168हे 15/2/0.025है गै.मु है
		कुल–1.272है 0.125है गे.मु
151/159	8	18/0.253,19/1/0.101है,21/1/0.101है 22ता25/0.253है.प्र

152 / 160 13 10 / 1 / 0.140है,11 / 1 / 140है

कुल–0.280है

चक.न 10 ए.एम.पी खाता स 95 / 74 मे प्रतिवादी गण स 1 ता 4 क ब.हि.ब प्राप्त कृाष भुमि

152 / 163 39 16 / 1 / 0.228है,16 / 2 / 0.025है

17,18,23,24 / 0.253है प्र

25 / 1 / 0.228हे,25 / 2 / 0.025हे

152 / 164 46 4 / 0.253हे.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दोनो खातो का कुल योग 4.740है 0.175है गै.मु कुल–4.915है

(ग) प्रतिवादी स 5 ता 7 के ब.ही.ब हक व हिस्सा की भूमि –

चक न 10 ए.एम.पी खाता स 102 / 65 मे प्रतिवादी स 5 ता 7 ब.ही.ब हक व हिस्सा की भूमि

प.न	मु.न	कि.न
152 / 160	13	1 / 1 / 0.228है,1 / 2 / 0.025है,2 / 1 / 0.228है
		2 / 2 / 0.025है, 3 / 1 / 0.228है,4 / 2 / 0.025है
		6,7,8,9,12,13,14,15 / 0.253है प्र
		10 / 2 / 0.113है, 11 / 2 / 0.113है

कुल योग 2.934है 0.075है गै.मु. 3.009है

चक न 10 ए.एम.पी के खाता स 95 / 74 मे प्रतिवादीगण स 5 ता 7 के ब.ही.ब प्राप्त कृाष भूमि

प.न	मु.न	कि.न
152 / 160	13	3 / 2 / 0.025है,4 / 1 / 0.228है कुल–0.228है
152 / 163	39	6 / 3 / 0.034है, 7,8,9,12,13,14 / 0.253हे0प्र
		15 / 3 / 0.034है

कुल योग 1.814है 0.025है गै.मु कुल 1.839है

दोनो खातो का कुल योग 4.748है गै.मु0.100 कुल 4.848है मय गै.मु

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22 / 03 / 2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official